


Continuation Note Sheet

7-6-17

वकील वादी उपस्थित वकील वादी द्वारा  
प्रार्थना- पत्र प्रस्तुत किया शामिल पत्रवली  
किया गया प्रार्थना- पत्र में कथन किया  
कि वादी एवम् प्रतिवादीगण के बीच राजीनामा  
हो चुका है इस कारण वादी को अति कार्यवाही  
नहीं पाएगा है अतः वाद पत्र विशुद्ध करने  
की रजतरी दी जाती है। प्रती-का प्रार्थना  
पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी  
वर्तमान स्तर पर स्थगित किया जाता है।  
पत्रवली वरबर से कम की जाकर वाद  
तकनील शामिल इफतर है।

  
(प्रशापाल आ/दुआ)  
उपसह उपाधिकारी (राजस्य)  
भीमनालगर